

न्यायालय:- उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा
पीठासीन अधिकारी :- चन्द्रशेखर भण्डारी (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 103/2022 प्रार्थना पत्र

1. ताज मोहम्मद पुत्र शाहबुद्दीन जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी गादोला तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
2. मोहम्मद अनीस पुत्री शाहबुद्दीन जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी गादोला तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
3. अजरा पुत्री शाहबुद्दीन जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी गादोला तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
4. नजमा पुत्री शाहबुद्दीन जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी गादोला तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
5. मु0 रहमत पत्नी शाहबुद्दीन जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी गादोला तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
6. हसीना पुत्री शाहबुद्दीन जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी गादोला तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
7. अकरम पुत्र स्व0 रईस मोहम्मद जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी गादोला तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
8. पिंकी पुत्री स्व0 रईस मोहम्मद जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी गादोला तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
9. अशरफ पुत्री स्व0 रईस मोहम्मद जाति मुसलमान आयु 15 वर्ष नाबालिग जरिये सरपरस्त माता गुड्डी बानो पत्नी स्व0 रईस मोहम्मद जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी गादोला तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
10. गुड्डी बानो पत्नी स्व0 रईस मोहम्मद जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी गादोला तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
11. कल्लन बी पत्नी अब्दुल सलीम जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी गादोला तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
12. मो0 इदरीश पुत्र अब्दुल सलीम जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी गादोला तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
13. मो0 उस्मान पुत्र अब्दुल सलीम जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी गादोला तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
14. शैर बानो पुत्री अब्दुल सलीम जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी गादोला तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
15. शरीफन बानु पुत्री अब्दुल सलीम जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी गादोला तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
16. मो0नईम पुत्र अब्दुल सलीम जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी गादोला तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
17. मो0 अतीक पुत्र निसार मोहम्मद जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी गादोला तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

21

18. मो० असलम पुत्र निसार मोहम्मद जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी गादोला तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
19. मोहम्मद रफीक पुत्र निसार मोहम्मद जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी गादोला तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
20. जुबेदा पुत्री निसार मोहम्मद जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी गादोला तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
21. मोहम्मद अय्युब पुत्र स्व०अब्दुल लतीफ जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी गादोला तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
22. शमीम बानो पुत्री स्व०अब्दुल लतीफ जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी गादोला तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
23. शब्बीर मोहम्मद पुत्र स्व०अब्दुल लतीफ जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी गादोला तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
24. खुर्शीद बानो पुत्री स्व०अब्दुल लतीफ जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी गादोला तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
25. मोहम्मद तोफिक पुत्र स्व०अब्दुल लतीफ जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी गादोला तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
26. सोहेल पुत्र स्व० मोहम्मद हारुन जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी गादोला तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
27. गुलनाज पुत्री स्व० मोहम्मद हारुन जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी गादोला तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
28. मु० शहनाज पत्नी स्व० मोहम्मद हारुन जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी गादोला तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

—प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

—विपक्षी

प्रार्थना पत्र 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

श्री मदनलाल चपलोत, अधिवक्ता प्रार्थी, उपस्थित
पैरोकार सरकार, उपस्थित

::निर्णय::

दिनांक 24.08.2022

संक्षिप्त प्रकरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 लै०रे०एक्ट का पेश कर निवेदन किया कि वाके मौजा गादोला प०ह० गादोला तह० निम्बाहेडा की आराजी जिसके नये खाता संख्या 427 के आराजी नं० 286 रकबा 0.7200 हैक्टेयर स्थित है जिसके पुराना आराजी नं० 1506/469 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की है। प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात नं० 286 व पडोस की आराजी नं० 288 दोनो पास पास हैं तथा इन दोनो आराजी के पूर्व दिशा मे

श्री

आराजी नं० 287 है जो उत्तर से दक्षिण लम्बा है, तथा पुराने नक्षे में इसी अनुसार दर्शाया गया है, परन्तु वर्तमान सेटलमेन्ट के अनुसार जो नक्षा बनाया गया है उसमें सहवन से आराजी नं० 287 को पश्चिम में आराजी नं० 286 व 288 के बीच दर्शा कर दक्षिण दिशा तक दर्शा दिया है जो कि गलत है जबकि यह आराजी नम्बर प्रार्थीगण की आराजी के पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण लम्बा हैं जो कि एक टेक्नीकल त्रुटी है जो कि राजस्व अधिकारियों की गलत व लापरवाही के कारण नवीन नक्षा ट्रेस में गलत रूप से तरमीम कर दिया है जबकि प्रार्थीगण का राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार मौके पर शान्तिपूर्ण रूप से कब्जा चला आ रहा तथा उक्त नक्शा ट्रेस में अंकन प्रार्थीगण के मौके पर कब्जे अनुसार एवं पुराने नक्षे अनुसार नहीं किया हैं। इसलिए उक्त नवीन नक्शा ट्रेस में तरमीम प्रार्थीगण के मौके पर काबिज अनुसार एवं पुराने नक्शा ट्रेस अनुसार नवीन नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरुस्ती किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं।

इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने पेश किया, प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया, विपक्षी को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, विपक्षी तहसीलदार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया और साथ में पटवारी हल्का गादोला की जांच रिपोर्ट पेश की गई जो संलग्न हैं तथा तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा अपने जवाब में जांच रिपोर्ट अनुसार साबिक जमाबंदी 2054 से 2057 के खाता संख्या 476 पर आराजी नं० 1506/468 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा खातेदारी सायर मोहम्मद पिता वजीरुद्दीन मुसलमान के नाम दर्ज रेकार्ड जमाबंदी अंकन थी, बाद सेटलमेन्ट विभाग द्वारा मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक आराजी 1506/469 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 286 रकबा 0.7200 हेक्टेयर बनाया जाकर नवीन नक्शा तरमीम किया गया। तत्पश्चात सेटलमेन्ट विभाग द्वारा तैयार जमाबंदी 2067-2070 के खाता नम्बर 526 अंकित कर नामांतरणकरण संख्या 2176 से खातेदारी का नाम सायर मोहम्मद के बजाए निशार मोहम्मद पिता वजरुद्दीन मुसलमान न्यायालय आदेश से खाते में दाखला लगाकर नाम सुधार किया गया। बाद में नामांतरणकरण संख्या 2178 विरासत निसार मोहम्मद के बजाए शहाबुद्दीन, अब्दुललतीफ, अब्दुल सबीक, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद अतिक, मोहम्मद अमलय, रहमतबाई, जुबेदा पिता निसार मोहम्मद का नाम अंकन हुआ, नामांतरणकरण संख्या 2216 से मोहम्मद रफीक का हिस्सा बैंक और बडोदा शाखा निम्बाहेडा के नाम का दाखला लगाया हुआ है परन्तु साबिक नक्षे के अनुसार नवीन नक्षे में तरमीम पुख्ता किया जाते वक्त प्रार्थीगण की आराजी में आराजी नं० 287 का रकबा मर्ज कर नक्शा बनाया गया। जबकी प्रार्थीगण का साबिक नक्शा संलग्न फोटो प्रति में स्पष्ट अंकन किया हुआ था एवं आराजी नं० 287 भी प्रार्थीगण के आराजी संख्या 286 में अंकित नहीं थी आराजी नं० 1506/469 का नवीन खसरा नं० 286 रकबा 0.7200 हेक्टेयर एवं आराजी नं० 287 रकबा 0.9100 हेक्टेयर मिलान क्षेत्रफल अनुसार बनाया जाकर खातेदारों के नाम दर्ज रेकार्ड किया गया है जबकि मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा साबिक रेकार्ड नक्शानुसार काबीज होकर काश्त किया पाया गया, तथा आराजी नं० 287 रकबा 0.

25